

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/24/41.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/24/25 दिनांक 07-08-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला जशपुर में विद्यमान 17 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 07 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला जशपुर के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/24/24 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10.09.2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. जिला जशपुर की समितियों के पुनर्गठन हेतु 02 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 29-09-2020 द्वारा सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जशपुर को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जशपुर के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 द्वारा 02 दावा/आपत्तियां अमान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/24/25 दिनांक 07-08-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जशपुर के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद् द्वारा जिला जशपुर में विद्यमान 17 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो में उल्लेखित 07 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संसोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्राणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जशपुर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।
- 06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-**
- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।
- 07. कर्मचारीवृन्द :-**
- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।
- 08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-**
- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।
- 09. विवाद :-** इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।
- 10. आदेश जारी करने की शक्तियां :-** इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (सोसाइटी)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पत्थलगांव	रघुनाथपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, घरजियाबथान
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, किलकिला	बंदियाखार	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पत्थलगांव

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बगीचा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बिमड़ा	बिमड़ा, दुर्गापारा, सरडीह, नटकेला, पतरापारा, मैनी, सामरबार, पेटा, सोनपुर, जुरगुम, खन्ताडांड
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तमता	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, केराकछार	केराकछार, करमीटिकरा, सुखरापारा, जामुजनवानी, मौदरहा, खारढोंडी, सिलीपखना, मिर्जापुर
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तपकरा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोनपारा	कोनपारा, अंकिरा, कौरगामाल, भालूमण्डा, खारीबहार, बरडीह, जुनवाईन, झारमुण्डा, तुमला, टिकलीपारा, दलटोली, सराईटोली, फरदबहार, बाबुसाजबहार, मसंगामारा, भेजरीडाड़, सरकरा, बारो, रनई, सागजोर, पेरवांआरा, भेलवा, गोलीडीह, डुमरिया, अम्बाकछार, टांकमुण्डा, कुम्हारबहार, डोंगादरहा, गंझियाडीह, मौहाडीह, जामटोली, कोल्हेनझरिया, कुल्हाड़बुढ़ा, तेलाईन, दलसेर, हाथीबेड़, जोरंडाझरिया, माटीपहाड़छर्चा, डागबंधी, औरीजोर (गंझियाडीह के पास), खुटसेरा, पेटामारा, मेण्डर
4	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुनकुरी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, नारायणपुर	कोटीया, पुटुकेला, सेन्द्रमुंडा, जामचुआं, बनकोम्बो, सारंगड़ा, रंगारघाट, बरडाड़, बेने, रानीकोम्बो, हस्तिनापुर, चटकपुर, बिलासपुर, चरईमारा, चिटकवाईन, दाराखरिका, डिपाटोली, नारायणपुर, मटासी
5	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कांसाबेल	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चोंगरीबहार	केनाडाड़, छेराघोघरा, जुमईकेला, बगीया, मुसकुटी, रजौटी, कटंगखार, कोरंगा, जामुंडा, देवरी, गरीहादोहर, दोकड़ा, पतरापाली, चोंगरीबहार, तुरंगाखार, बासबहार, बरजोर, लपई, सेमरकछार, हथगड़ा, कोटानपानी, गरईबंध, टाटीडांड, तिलन्गा, दलहागोड़ा, नकटीमुंडा, शब्दमुंडा, रेबड़ा
6	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मनोरा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, आस्ता	आस्ता, बेंजोरा, अंधरझार, खम्हली, अमगांव, अंधला, बहेरना, कांची, इरई, कुरांग, माडो, गोबारू, अजधा, डेगनी, हरी, कोठाडीह, खड़कोना, सरडीह, सराईडीह, खौरा, बुधगांव, करादरी, लिटिम, हरांडिपा, तलोरा, बेलडीह
7	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गम्हरिया	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, आरा	आरा, टुठीआम्बा, सकरडेगा, सालकेरा, बरगांव, जामटोली, झिलमिली, इचकेला, रूपसेरा, डबनीपानी, राईपाट, बोकी, बिरोपानी, नारायणपुर (चिरवारी), रनपुर

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक